

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप आप सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के प्रपत्र/फार्म जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर आवेदन पत्र लिंक के तहत और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप स्वेच्छापूर्वक इन प्रपत्रों/फार्मों का प्रयोग कर सकते हैं।

अरुण आर्य

(अरुण कुमार आर्य)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (दक्षिण-पूर्व)

अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,

जिला न्यायालय, दिल्ली।

दिल्ली, दिनांक 08/09/17

संख्या 57784-57984/हिन्दी/237/2017

परिपत्र की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, पूर्व, शाहदरा, नई दिल्ली, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि आप इस परिपत्र व संलग्नकों को अपने संबद्ध न्यायिक जिले में परिचालित करवाएँ)।
 2. समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 3. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय कम्प्यूटर समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली इस अनुरोध सहित कि सभी न्यायिक जिलों की इंटरनेट प्रणाली में समान रूप से उपलब्ध हों।
 4. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 5. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 7. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, कम्प्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, कड़कड़ूमा न्यायालय, पटियाला हाउस न्यायालय, रोहिणी न्यायालय, द्वारका न्यायालय और साकेत न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली (वेबसाइट और इंटरनेट पर इन प्रपत्रों/फार्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु)।
 8. निजी सचिव, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
 9. वेबसाइट समिति, अंग्रेजी-हिन्दी, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और दोनों वेबसाइटों पर उक्त संदर्भित प्रपत्रों/फार्मों की उपलब्धता नियमित रूप से सुनिश्चित करने हेतु)।
- कृपया ध्यान दें : समस्त न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवश्य अवगत करवाएँ।

अरुण आर्य

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (दक्षिण-पूर्व)

अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,

जिला न्यायालय, दिल्ली।

देखा गया: सभी अधिकारियों को सूचित करें

अध्यक्ष: (कम्प्यूटर अनुभाग)